


# कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक स्थाई आदेश-सु-05 /20-1 ( अवैध कटान )लखनऊ:दिनांक: जून 17, 2015

## स्थाई आदेश

मुख्यालय एवं शासन स्तर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के विश्लेषण से प्रायः यह ज्ञात होता है कि वन क्षेत्रों से अवैध पातन कर प्रकाश अन्य प्रान्तों एवं सीमा पार ले जाया जाता है। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अवैध अभिवहन के माध्यम अवैध पातन की घटना संज्ञान में आने पर अवैध पातन हेतु उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के साथ-साथ, अवैध अभिवहन के मार्ग में पडने वाले समस्त वन सुरक्षा चौकी/बैरियरो, अन्तःराज्यीय बैरियरों पर कार्यरत कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।


श्री कांति लाल  
20/06/2015

  
(डीओ रूपक डे)  
प्रमुख वन संरक्षक, 30प्र0,  
लखनऊ।

पत्रांक सु- 411 (1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।

  
(डीओ रूपक डे)  
प्रमुख वन संरक्षक, 30प्र0,  
लखनऊ।